दिनांक 28 / 10 / 2016 को विनियमित क्षेत्र, बस्ती का विघटन होकर बस्ती विकास प्राधिकरण का गठन हो चुका है |

website : www.bdabasti.in

बस्ती विकास प्राधिकरण

गाँधी कला भवन, फव्वारा चौराहा (निकट कलेक्ट्रट) बस्ती

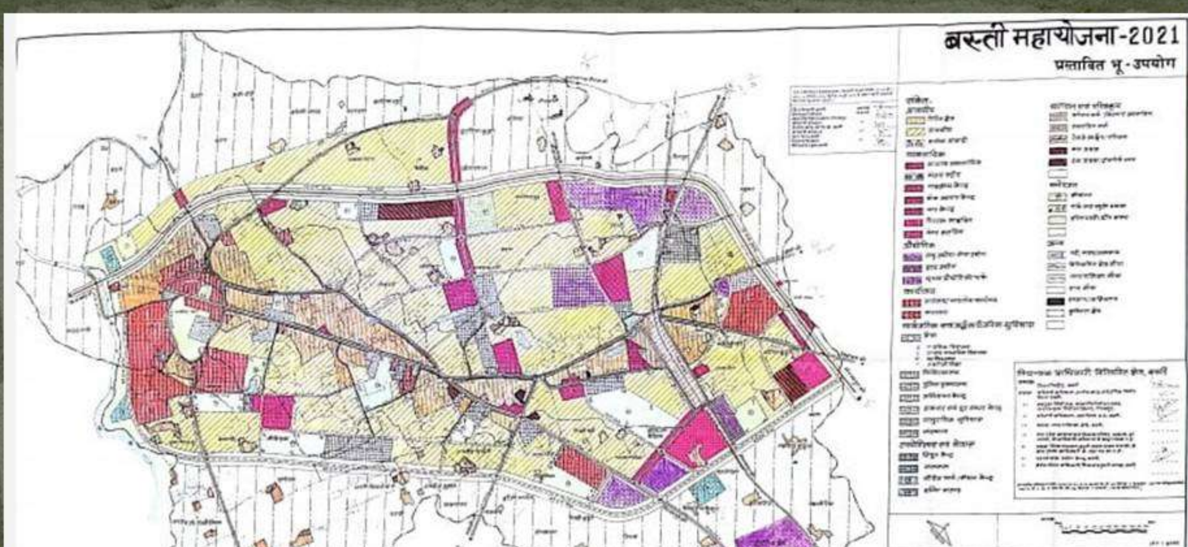

बस्ती महायोजना-2021 बस्ती विकास क्षेत्र में दिनांक 25/7/2015 से लागू कर दी गई है|

बस्ती विकास प्राधिकरण
धारा-14
बस्ती विकास क्षेत्र में किसी भी प्रकार के नए निर्माण / पुनर्निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम - 1973 (अधिनियम) की धारा - 14 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या सरकारी विभाग बिना प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से अनुमति लिए कोई निर्माण विकास कार्य नहीं कर सकता|

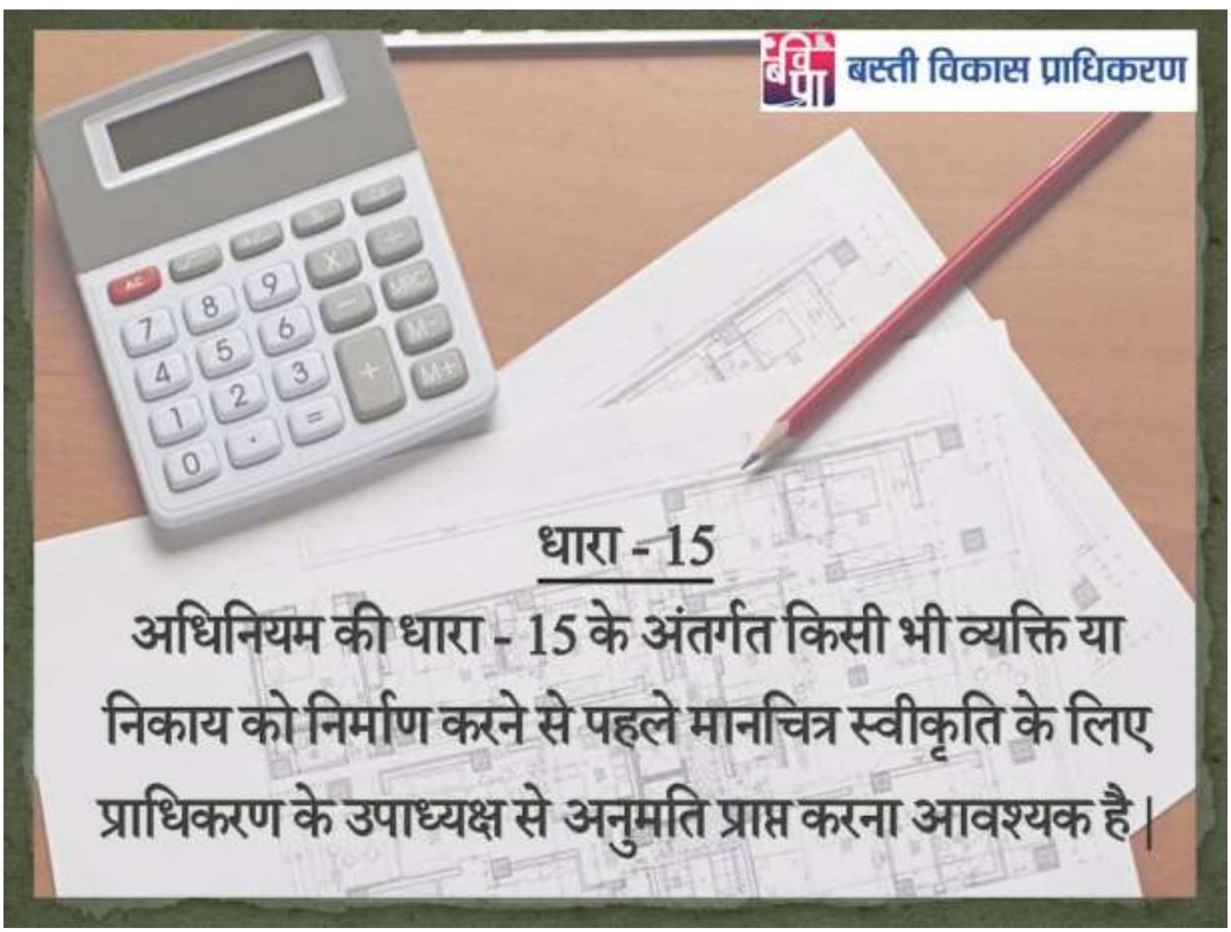
बस्ती विकास प्राधिकरण
धारा - 15
अधिनियम की धारा - 15 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति या निकाय को निर्माण करने से पहले मानचित्र स्वीकृति के लिए प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है |

बस्ती विकास प्राधिकरण

धारा-27

अधिनियम की धारा-27 के अंतर्गत उपाध्यक्ष अथवा उनका कोई नामित अधिकारी बिना मानचित्र स्वीकृति अथवा स्वीकृत किए गए मानचित्र से प्रतिकूल किए जा रहे निर्माण को न्यूनतम 15 एवं अधिकतम 40 दिन में स्वयं के खर्च पर ध्वस्त किए जाने में असफल रहने पर प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त किए जाने तथा इस पर आए खर्चे को भू-राजस्व के बकाए के रूप में वसूल पाने का आदेश पारित कर सकते हैं।

बस्ती विकास प्राधिकरण

धारा-28 (1)

अधिनियम की धारा-28(1) में यदि किसी व्यक्ति द्वारा बिना प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र अथवा स्वीकृति के प्रतिकूल निर्माण जारी रखा हो तो, उपाध्यक्ष अथवा उनके नामित अधिकारी अधिनियम की धारा-28 (1) के अंतर्गत निर्माण को रोके जाने का आदेश पारित कर सकते हैं।

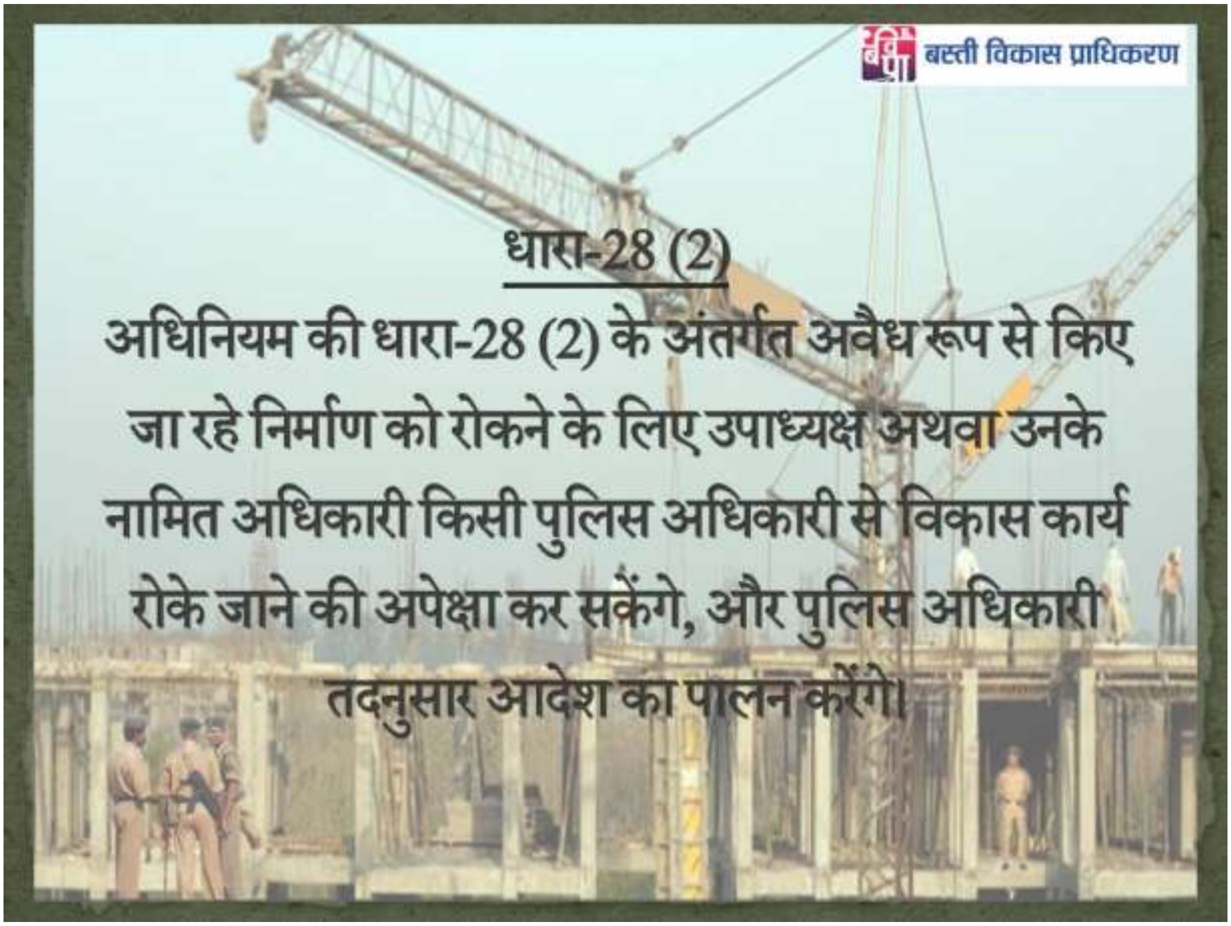
बस्ती विकास प्राधिकरण
धारा-28 (2)
अधिनियम की धारा-28 (2) के अंतर्गत अवैध रूप से किए जा रहे निर्माण को रोकने के लिए उपाध्यक्ष अथवा उनके नामित अधिकारी किसी पुलिस अधिकारी से विकास कार्य रोके जाने की अपेक्षा कर सकेंगे, और पुलिस अधिकारी तदनुसार आदेश का पालन करेंगे।

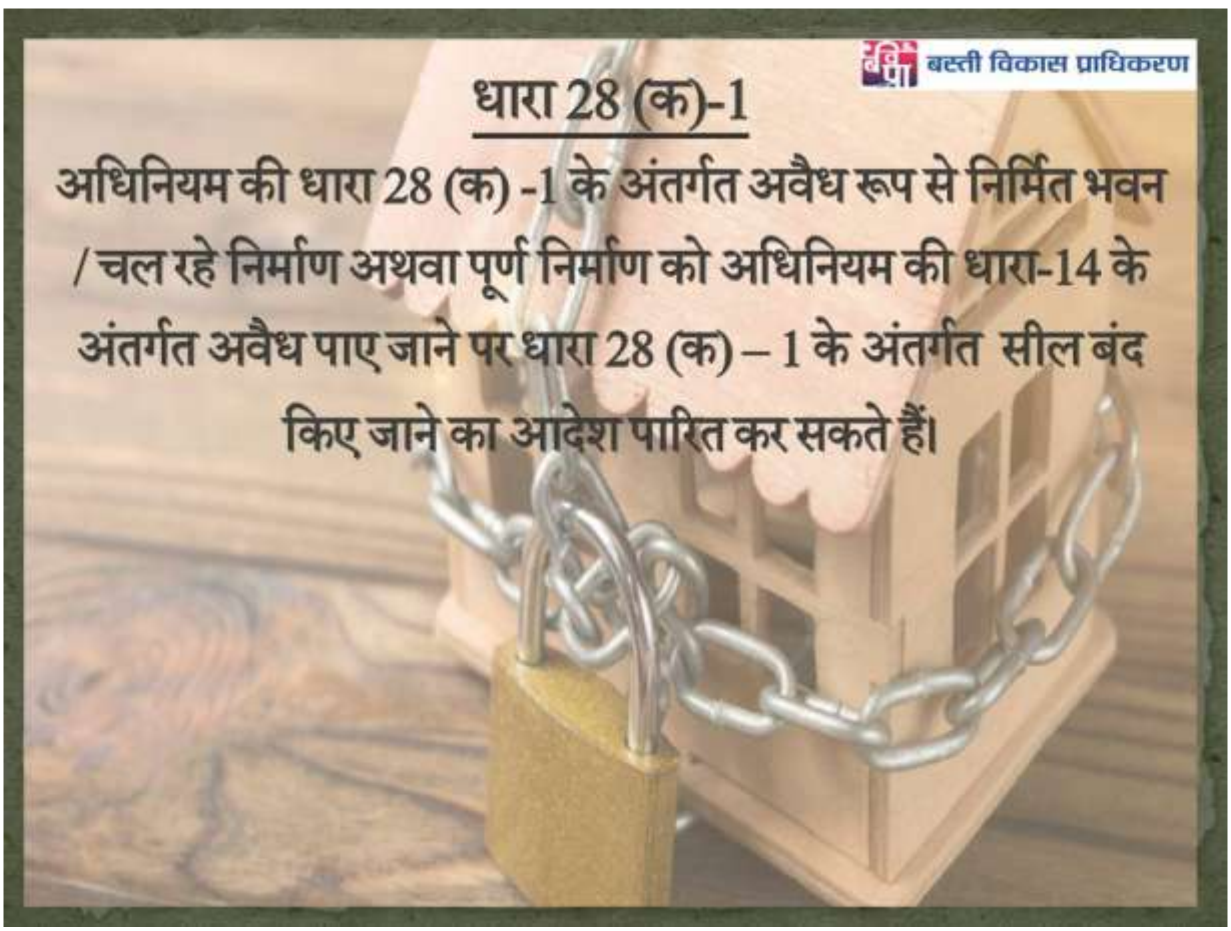
बस्ती विकास प्राधिकरण
धारा 28 (क)-1
अधिनियम की धारा 28 (क) -1 के अंतर्गत अवैध रूप से निर्मित भवन /चल रहे निर्माण अथवा पूर्ण निर्माण को अधिनियम की धारा-14 के अंतर्गत अवैध पाए जाने पर धारा 28 (क) – 1 के अंतर्गत सील बंद किए जाने का आदेश पारित कर सकते हैं।